

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ-२२७९३२

२०८८

संख्या-ई.स. / जी.एस.
दिनांक)।१। अमस्ता, २००३

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबाफुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

महोदय,

आपके पत्र संख्या-स०वि०/सम्ब/२००३/२६६२-६४/ दिनांक ८.७.२००३ के सम्बन्ध में
मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य
विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ३७(२) के अधीन रक्षपाल बहादुर मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट
बरेली को स्नातक स्तर पर बी.सी.ए. पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के
अधीन दिनांक ९.७.२००३ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

१. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/ सत्तर-२- २००३-९६
(६२)/ २००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर
इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया
जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण
परिपालन किया जा रहा है।
२. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों
एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो
उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को
प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

१०

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०, ९८-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
३. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
४. प्रबन्धक/ प्राचार्य रक्षपाल बहादुर मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट बरेली

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव